न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 28/2025

श्री परसादी निवासी रहमानपुरा, पोस्ट झुण्डवा तहसील उनियारा टोंक राज0 मो0न0 8058189294 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 22.04.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को आवेदन पत्र दिनांक 16.02.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

मेरे घर ग्राम रहमानपुरा पोस्ट झुण्डंवा तहसील उनियारा टोंक में है अभी वर्तमान में मेरा घर रहमानपूरा गांव के खसरा नंबर 109 व खाता संख्या 107 में है मुझे निम्न जानकारी चाहिए

1 मुझे ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 1.07.2017 को आबादी भूमि में पट्टा दिया था प्रसादी देवी पत्नी रामसहाय मीणा रसीद संख्या 41 दिनांक 1.07.2017 द्वारा अब पंचायत ग्राम विकास अधिकारी बोल रहा है कि यह मकान आबादी में नहीं है जबकि उस टाइम मेरे पड़ोसी सहित मेरा पट्टा जमीन सर्वे पटवारी ने किया था उसने वो जमीन आबादी क्षेत्र में बताई थी।

2 हम यहां 35 साल से रह रहे हैं जब 2017 में मेरा घर आबादी भूमि पर था तो वह जगह कैसे गैर आबादी हो गई।

3 अपना खाता पोर्टल पर यह जमीन ग्राम पंचायत के आबादी भूमि के नाम दर्ज हैं वर्तमान में फिर इस पर पट्टा क्यों नहीं बन सकता और पट्टा बनाने के लिए क्या प्रोसेस है।

4 ग्राम विकास अधिकारी झुण्डंवा पंचायत ने पट्टे पर गैर आबादी का मार्क कर दिया जबकि मेरे पड़ोसी का पट्टा तहसील में रजिस्टर्ड हो चुका है मुझे विकास अधिकारी पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को पत्र कमांक 428 दिनांक 24.03.2025 व 522 दिनांक 08.04.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा ने पत्र कमांक 1294 दिनांक 04.04.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 1295 दिनांक 04.04.2025 से सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी

जिला कलेक्टर
टोंक

1645

द्वारा चाही जा रही सूचना का अवलोकन करने से विदित होता है कि सूचना ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत झुण्डवा/ पंचायत समिति उनियारा से संबंधित है। जिसके प्रथम अपीलेट अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता नही है। अपीलान्ट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना का प्रार्थना पत्र ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत झुण्डवा/ पंचायत समिति उनियारा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करने व उनके द्वारा सूचना नही दिये जाने की स्थिति में उनके प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक